

इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह
अल-मुनज्जिद

169955 - ऐसी वेबसाइट डिजाइन करने का हुक्म जिसमें सूद पर कर्ज लेने की सुविधा है।

प्रश्न

मैं एक वेब डिजाइनर के रूप में काम करता हूँ, अर्थात् मैं ग्राहकों के लिए साइट डिजाइन करता हूँ, हाल ही में मेरे चचेरे भाई ने मुझसे एक कंपनी के लिए एक साइट डिजाइन करने के लिए कहा, यह कंपनी अपने ग्राहकों को अनेक प्रकार की बहुत सारी सेवाएँ प्रस्तुत करती है, समस्या यह है कि उसकी सेवाओं में से एक सूद पर कर्ज लेने में मदद करना है, किंतु वे ग्राहक को कर्ज पहुंचाते नहीं हैं बल्कि उसका पता लगाने में उनकी सहायता करते हैं। तो क्या हलाल है कि मैं उनके लिए यह साइट डिजाइन करूँ ? मेरा चचेरा भाई गैर मुस्लिम है और वह जानता है कि मैं मुसलमान हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मुसलमानों के बारे में खराब छवि पेश करूँ कि उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं ?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

सर्व प्रथम :

मुसलमान के लिए मूलतः वैध वेबसाइट की डिजाइन के क्षेत्र में काम करने में कोई गुनाह की बात नहीं है, और उसके ऊपर अनिवार्य है कि उन वेबसाइट्स की डिजाइन करने से बचे जो हaram काम पर आधारित हैं, जैसे- बैंकों, शराब, फिल्मों और दो लिंगों के बीच बातचीत (चैट) और इनके समान चीजों की वेबसाइट्स।

तथा हaram चीज के निषेध के बारे में असल (बुनियादी प्रमाण) अल्लाह तआला का यह फरमान है :

[وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ] [المائدة: 2]

“तथा गुनाह और अत्याचार पर एक दूसरे का सहयोग न करो, और अल्लाह से डरते रहो, निःसंदेह अल्लाह कठोर सजा देने वाला है।” (सूरतुल माइदा : 2).

यदि साइट हaram काम के लिए विशिष्ट नहीं है बल्कि वह असलन एक अवर्जित और जाइज़ काम की साइट है, यद्यपि वह

इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह
अल-मुनज्जिद

कुछ निषेद्ध चीजों पर आधारित है जैसे कि वह कंपनी जिसके बारे में आप ने प्रश्न किया है, तो आपके लिए उसकी साइट को दो शर्तों के साथ डिज़ाइन करना जाइज़ है :

पहली शर्त : इस कंपनी का अधिकतर काम जाइज़ हो, उसका अधिकांश काम या उसकी गतिविधियां हaram चीज़ में न हों।

दूसरी शर्त : आप इस हaram चीज़ से संबंधित कोई काम न करें।

जहाँ तक उस कंपनी का संबंध है जिसके बारे में आप ने प्रश्न किया है : तो आपके लिए उसकी साइट को डिज़ाइन करना जाइज़ है इस शर्त के साथ कि उपर्युक्त सूदी कारोबार उसकी कंपनी की अधिकतर गतिविधि न हो और यह कि आप अपनी डिज़ाइन में उस हaram गतिविधि से संबद्ध कोई खिड़की डिज़ाइन न करें या किसी भी प्रकार से उसका मार्गदर्शन न करें।

दूसरा :

जहाँ तक आपके चचेरे भाई का संबंध है तो आपके उसे जिस चीज़ को आप छोड़ रहे हैं उसके बारे में शरीअत का हुक्म बताने में उसे इस्लाम की ओर आमंत्रण देना पाया जाता है, और आपके हaram चीज़ की सेवा को डिज़ान करने में इस्लाम का अपमान करना पाया जाता है, क्योंकि किसी काफिर को खुश करने के लिए किसी मुसलमान को हaram काम करने के जाइज़ होने की कोई गुजाइश नहीं है, बल्कि स्वयं काफिर आपको अंतर्विरोध करने वाला समझेगा यदि उसे पता चलेगा कि आप का धर्म सूद को हaram ठहराता है और आप उसके प्राप्त करने की सेवा को वेबसाइट पर डिज़ाइन करते हैं!

मुसलमान को चाहिए कि अल्लाह तआला को नाराज़ करके लोगों की प्रसन्नता तलाश करने से उपेक्षा करे, क्योंकि उसके परिणाम उसके ऊपर नुकसान और बुराई के रूप में निष्कर्षित होते हैं, तिमिज़ी (हदीस संख्या : 2414) ने रिवायत किया है - और अल्बानी ने “सहीह तिमिज़ी” में सहीह कहा है - कि आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया : मैं ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फरमाते हुए सुना : “जिसने लोगों को नाराज़ करके अल्लाह तआला की प्रसन्नता को तलाश किया तो अल्लाह उसके लिए लोगों की ओर से काफी होगा, और जिसने अल्ला को नाराज़ करके लोगों की प्रसन्नता को तलाश किया, तो अल्लाह तआला उसे लोगों के हवाले कर देगा।” तथा इब्ने हिब्बान ने अपनी सहीह (1/501) में इन शब्दों के साथ रिवायत किया है: “जिस व्यक्ति ने लोगों को क्रोधित करके अल्लाह की खुशी को तलाश किया तो अल्लाह तआला उस से खुश होगा और लोगों को भी उससे खुश कर देगा, तथा जिस व्यक्ति ने अल्लाह को क्रोधित करके लोगों की प्रसन्नता तलाश की तो अल्लाह उस से नाराज़ हो जायेगा और लोगों को भी उस से नाराज़ कर देगा।”

इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह
अल-मुनज्जिद

तथा आप इस बात को अच्छी तरह जान लें कि वास्तविक दावत (धर्मोपदेश) और वास्तव में लोगों को दीन की अभिरूचि दिलाना यह है कि : आप उसके ऊपर सुदृढ़ता के साथ क़ायम हों, रही बात यह कि आप लोगों को बतायें कि इस्लाम - उदाहरण के तौर पर- सूद को हराम और निषिद्ध ठहराता है फिर आप उसका लेनदेन करते हैं, या उस पर सहयोग करते हैं: तो यह एक प्रकार से अल्लाह के रास्ते से रोकना है और लोगों को उसके दीन से घृणित करना है, क्योंकि वे लोग कहेंगे : यदि यह बात सत्य होती जिसकी यह हमें निमंत्रण और सूचना दे रहा है तो : तो वह स्वयं उसका पालन क्यों नहीं कर रहा है ?!